NOTICE INVITING TENDER (NIT)

1. President, DOERA Sekhon Vihar, Palam, Delhi Cantt - 110010 invites sealed tenders for **Provision of Security Guard services in Sekhon Vihar.**
2. The tender forms can be obtained from the DOERA office, Sekhon Vihar, Delhi Cantt - 110010 on all working days from **1000h to 1800h (Mon-Sat)** from **01 Aug 25** to **12 Aug 2025 on payment of Rs 500/- each** (non-refundable).
3. Tender forms duly completed in all respects together with technical & financial Bid, addressed to **"President DOERA Sekhon Vihar Delhi Cantt - 10"**. Allotment will be done by Board of Officers taking into account, rate offered, documents attached, filling up all particulars/details, financial status of bidders, character verification, welfare of troops and other parameters as mentioned in the tender form.
4. All correspondence / Claims concerning bidding are to be addressed to **President, DOERA Sekhon Vihar**. No query / claim concerning bidding will be accepted beyond 10 days of allotment. Decision of President will be fixed and binding. No correspondence on the subject will be entertained on completion of bidding and allotment of contract. All bidders / dependents are expected to follow service norms and ethos in all communication and follow laid down channels.
5. Tenderers may visit the site before applying on any working day. **President DOERA Sekhon Vihar** has the right to accept or reject any tender or application without assigning any reason.

रेलगाड़ी कृपया ध्यान दें!

महत्वपूर्ण सूचना

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु उत्तर रेलवे द्वारा निम्नलिखित आरक्षित विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

रेलगाड़ी सं. 04081/04082 नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा – नई दिल्ली आरक्षित एक्सप्रेस विशेष — **06 फेरे**

गाड़ी सं. 04081 आगमन	प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	गाड़ी सं. 04082 आगमन	प्रस्थान
----	23:45	नई दिल्ली	10:30	----
00:58	01:00	पानीपत	07:30	07:32
01:43	01:45	कुरुक्षेत्र ज.	06:48	06:50
02:32	02:40	अम्बाला छावनी	05:50	05:55
04:06	04:16	ढंडारी कलां	04:00	04:10
05:26	05:28	जलंधर छावनी	02:45	02:50
07:15	07:20	पठानकोट छावनी	00:45	00:50
09:15	09:25	जम्मू तवी	23:00	23:05
11:08	11:10	शहीद कप्तान तुषार महाजन	21:48	21:50
11:40	----	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	----	21:20

चलने के दिन: 04081 नई दिल्ली से दिनांक 14, 15 एवं 16.08.2025 को तथा **04082 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा** से दिनांक 15, 16 एवं 17.08.2025 को।

स्थान: प्रथम वाता., वाता. 2 टीयर, वाता. 3 टीयर, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी जानकारी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें।

2343/2025

पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा–हमारा ध्येय

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

RELIGARE Discover. Grow. Serve.

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 1407, 14वीं मंजिल, विटलैंड टॉवर, 43, बंड्स रोड, नई दिल्ली - 110019
CIN: L74899DL1994PLC145935
फोन: +91-11-4472 5676;
वेबसाइट: www.religare.com; **ईमेल:** investorservices@religare.com

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक का आयोजन के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2025 को जारी सूचना और उससे जुड़े व्याख्यात्मक वक्तव्य के अनुक्रम में शुद्धिपत्र और परिशिष्ट

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (**"कंपनी"**) ने शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / ऑडियो विजुअल माध्यमों (**"ओवीएम"**) की सुविधा के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए 11 जुलाई, 2025 की असाधारण आम बैठक की सूचना (**"ईजीएम सूचना"**) जारी की है। कंपनी के सभी शेयरधारकों को ईजीएम सूचना के प्रेषण का कार्य 17 जुलाई, 2025 को पूरा हो गया है।

कंपनी ने परिवर्तनीय अधिकारों के बेहतर निर्गम के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वीएसई लिमिटेड (**"वीएसई"**) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (**"एनएसई"**) में आवेदन दायर किए थे, जिनके लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जा रही है। इसके बाद, कंपनी को एनएसई से 23 जुलाई, 2025 को एक निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को एक शुद्धिपत्र और परिशिष्ट के माध्यम से सूचना करने/अतिरिक्त विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट (**"शुद्धिपत्र और परिशिष्ट"**) आइटम नं. 1 के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य के तहत किए गए कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधनों/स्पष्टीकरण और अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए जारी किया जा रहा है, जो ईजीएम नोटिस ("व्याख्यात्मक वक्तव्य") के संलग्न है।

तदनुसार, यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट 11 जुलाई, 2025 के ईजीएम नोटिस के साथ-साथ उसके व्याख्यात्मक विवरण के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है और यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट 11 जुलाई, 2025 के मूल ईजीएम नोटिस का अभिन्न अंग माना जाएगा और इसे उसके साथ पढ़ा जाएगा। इस तिथि से, ईजीएम नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण को हमेशा शुद्धिपत्र और परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाएगा।

ईजीएम सूचना की अन्य सभी विषय-वस्तु, इस शुद्धिपत्र और परिशिष्ट द्वारा संशोधित या पूरक के अलावा, अपरिवर्तित रहेगी। वीसी/ओवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, टैबिनेट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग से संबंधित सभी प्रासंगिक नोटिस और निर्देश ईजीएम सूचना में बताए अनुसार लागू रहेंगे।

यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट https://www.religare.com/egm-2025---pref-issue पर उपलब्ध होगा।

कंपनी के सभी शेयरधारकों को इस शुद्धिपत्र और परिशिष्ट के प्रेषण का कार्य 31 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पूरा हो गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता./-
अनुज जैन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 01 अगस्त, 2025
स्थान: नई दिल्ली

इंडियन बैंक Indian Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)

इलाहाबाद ALLAHABAD

दवाधरस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन नं0- 0522-2288988

मेसर्स सन इंटरप्राइजेज को एसएमबी लखनऊ के साथ कारण बताओ नोटिस

सेवा में,

1. **मेसर्स सन इंटरप्राइजेज** (प्रोपराइटरशिप फर्म), निवासी ग्राम-दक्खिन गांव, पोस्ट शाहगढ़, जिला-अमेठी (सी.एस.एम. नगर)-227405
2. **श्री अजय प्रताप सिंह** पुत्र श्री शिव प्रताप सिंह (प्रोपराइटर), निवासी ग्राम-दक्खिन गांव, पोस्ट-शाहगढ़ जिला-अमेठी (सी.एस.एम. नगर)-227405
3. **श्री अमजद खान** पुत्र श्री अख्तर खान (जमानतकर्ता), निवासी ग्राम एवं पोस्ट-खोसीपुर, परगना- मौरावुर, तहसील-सदर, जिला-सुल्तानपुर-227405
4. **श्रीमती अर्चना सिंह** पत्नी श्री अजय प्रताप सिंह (जमानतकर्ता), निवासी ग्राम-दक्खिन गांव, पोस्ट शाहगढ़, जिला-अमेठी (सी एस एम नगर)-227405

महोदय,

विषय: मेसर्स सन इंटरप्राइजेज एसएमबी लखनऊ-सांड घोषित करने हेतु कारण बताओ नोटिस।

आपके अनुरोध पर, बैंक ने अपनी सुल्तानपुर शाखा के माध्यम से मेसर्स सन एंटरप्राइजेज को शायल मिल के लिए कार्यशील पूंजी की अल्पकालिक ऋण एकल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत **50.00 लाख रूपये** स्वीकृत किए, जहाँ क्रमांक 1 ऋणी फर्म है, क्रमांक 2 स्वामी है एवं क्रमांक 3 व 4 फर्म के गारंटर हैं और उन्होंने दस्तावेज/समझौते निष्पादित किए हैं। फर्म की ऋण सुविधाओं की अंतिम समीक्षा 04.11.2010 को 50.00 लाख रूपये के लिए की गई। खाता 31.07.2012 को एनपीए में घटित हुआ। 31.07.2012 तक कुल बकाया राशि **63.39.645/-** रूपये (केवल्ली व्यय को छोड़कर)।

ऋणी ने अपनी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार ब्याज की अदायगी में चूक की है और तदनुसार ऋण खातों में एक आंतरिक जांच की गई है/धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें शिकायतकर्ता ने उधारकर्ता / गारंटर/ मालिक / गारंटरों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कृत्यों/चूक का आरोप लगाया है।

बैंक द्वारा धोखाधड़ी की जांच के लिए गठित बैंक के सक्षम प्राधिकारी (धोखाधड़ी जांच समिति) ने उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है और 30.05.2025 को उचित विचार-विमर्श के बाद तदनुसार ऋणी फर्म मेसर्स सन एंटरप्राइजेज, और इसके मालिक श्री अजय प्रताप सिंह और इसके जमानतकर्ता श्री अमजद खान और श्रीमती अर्चना सिंह को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने की संतुष्टि दे दी है।

उक्त समिति ने खातों के संचालन में कई कदाचार/चूक और स्वीकृति की शर्तों और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित नियमों का पालन न करने का अवलोकन किया है, जो निम्नानुसार है:-

क. श्री अमजद खान (गारंटर/जमानतकर्ता) पुत्र अख्तर खान पर बैंक को किस सुविधा दिए या बैंक से अनुमति लिए और ऋण का परिभाषण किए बिना मूल स्वामित्व विलेख भारतीय बैंक में जमा होने के बावजूद, चांच बिक्री विलेखों के माध्यम से गुप्त रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर बैंक को धोखा देने का आरोप है।

ख. मेसर्स सन एंटरप्राइजेज (202297491534) के मालिक श्री अजय प्रताप सिंह ने ऋणी/जमानतकर्ता के साथ मिलीभगत करके बैंक को धोखा दिया है। उन्होंने मूल स्वामित्व विलेख भारतीय बैंक में बिना सूचित किए या बैंक से अनुमति लिए और ऋण का परिभाषण किए बिना जमा होने के बावजूद, गुप्त बिक्री विलेखों के माध्यम से गुप्त रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर बैंक को धोखा दिया है।

ग. श्रीमती अर्चना सिंह (जमानतकर्ता) पत्नी श्री अजय प्रताप सिंह पर बैंक को धोखा देने में उधारकर्ता और बंधनकर्ता के साथ मिलीभगत करने का आरोप है।

ऋणी फर्म और उसके स्वामी तथा जमानतकर्ताओं की ओर से धोखाधड़ी के उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, समिति ने प्रथम दृष्टि संबंधित खाते के आचरण में धोखाधड़ी के तत्व/तत्वों का अवलोकन किया है।

यदि आप चाहें, तो इस सूचना की प्राप्ति से 21 दिनों के भीतर बैंक को उपरोक्त कदाचार/चूक/अनुपालन न करने के विरुद्ध इस संबंध में अभ्यावेदन/प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आपको धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से क्यों आपत्ति है। कृपया ध्यान दें कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई संतोषजनक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है या बैंक आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक तर्कसंगत आदेश पारित करने के बाद ऋणी फर्म और उसके स्वामी तथा जमानतकर्ताओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्यवाही करेगा।

कृपया यह भी ध्यान दें कि बैंक आरबीआई, सिबिल और अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को ऋणी फर्म और उसके स्वामी तथा जमानतकर्ताओं के बैंक सहमत किसी अन्य विलासिता अवधि में रोकी गई किसी भी राशि से सूचित करेगा और उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।

मुख्य प्रबंधक
दिलखुश किफायतूर स्क्रीनिंग कमेटी (WDSC)

दिनांक: 17.07.2025 स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड

पंजी. पता : एएन–21–बी, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 22–06–2025 जारी की थी, जिसमें कर्जदार से, उसमें वर्णित राशि के, सूचना में उल्लिखित राशि रु. 24,14,019.62/– (रुपये चौबीस लाख चौदह हजार उन्नीस और पैसे बासठ मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथि को, ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड की नीचे संकेत में वर्णित राशि (+) उस पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	आवेदक(रों) और सह–आवेदक(रों) (कर्जदार) का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा का प्रकार
1	आवेदक :– श्री नवल सिंह बोगती ग्राम पत्री ऋण खाता : BIZLN 2367 ऋण खाता : BIZLN 2648	समस्त टुकड़े के सभी अंश एवं खंड : दुकान नंबर 87, भूमि क्षेत्रफल 25 वर्ग गज, नई अनाज मंडी हसनपुर, तहसील हसनपुर, जिला पलवल, हरियाणा–121107	22–05–2025	30–07–2025	ऋण खाता : BIZLN 2367 रु. 1305,401.32/– ऋण खाता : BIZLN 2648 : रु. 11,08,818.30 योग : रु. 24,14,018.62	सांकेतिक कब्जा

कब्जाया राशि उपरिवर्णित राशि + मांग सूचना की तिथि से अर्जित भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार।

दिनांक : 01–08–2025
स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड

जीआईएफसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विनियमित कार्यालय / प्रधान कार्यालय : जीआईएफएससी, मेडामल इंटरनेशनल बिल्डिंग, 6ठवां तल, 14, जगजीवनी दास मार्ग, गांधीनगर, गुजरात–382355, दूरभाष सं.: 022– 43041900, ईमेल : investors@gifch.com, corporate@gifch.com, वेबसाइट : www.gifchindia.com

दिल्ली शाखा कार्यालय : यूनीटेक–10 ए ई कंचनजंघा बिल्डिंग, 18, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, दिल्ली– 110001, कार्यालय दूरभाष : 011– 23356430 / 23731669, शाखा ईमेल आईडी : delhi@gifchindia.com.

संपर्क विवरण : प्रवीण सिंह – 8851292527 / 6396538102

बोदर ओएसए शाखा : यूनिट जे–303, तृतीय तल, ट्रेडेक्स टॉवर– 1, कमर्शियल बेल्ट, सेक्टर– 1, बोदर नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201308

कार्यालय दूरभाष : 0120– 4307427, शाखा मेल आईडी : greater_noida@gifch.com, प्राधिकृत अधिकारी का नाम : जयदीप आहिरा – 8744090981

मेगा ई–नीलामी विक्रय सूचना

ई–नीलामी तिथि : 19–08–2025 / बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 18–08–2025

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएफएससी) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगानंतर, निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उनसे उक्त सूचनाओं में उल्लिखित बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने का आह्वान किया गया था। हालांकि, उधारकर्ता / बंधककर्ता उक्त देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत एवं धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगानंतर निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक / सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार / सह–कर्जदार / गारंटर का नाम / ऋण खाता सं. / बोली जमा सं.	बंधकी पता / बंधकी संपत्ति (ऋण खाता में विवरित)	मांग सूचना निर्गमन तिथि	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	30.07.2025 के अनुसार देय बकाया (जीआईएल खाता एवं अन्य शुल्कों सहित) (रुपये में)	आरक्षित मूल्य (रुपये में)
1	UPU11061000041952 / श्री उमेश कुमार / दिल्ली	फ्लैट संख्या एलएम–4, एमआईजी हिल्टन टावर, ग्रामपंचायत के महल, बोर्ड की ओर बाएं तरफ में, प्लॉट संख्या सी–1/24, सेक्टर–22, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी– 201302 (भौतिक कब्जाया 500 वर्ग मी.)	14.07.2021	19.01.2023	22,46,210/-	11,08,980/-
2	UPU11061000060660 / श्री परविंदर श्रीवास्तव / श्रीमती नीता श्रीवास्तव / दिल्ली	फ्लैट संख्या–एलएम–2, एमआईजी हिल्टन टावर, ग्रेटर नोएडा के पूर्वी तरफ की ओर, प्लॉट संख्या–422, एलएमएस का विकास नीति–सह–गृहनिर्माण योजना, तहसीलदार, ग्रेटर नोएडा– 201302, ईकोटेक तृतीयम (90 वर्ग मी.)	18.06.2021	19.01.2023	29,93,305/-	13,46,625/-
3	UPU11061000037598 श्री मुकुलदीप्तेश / दिल्ली	फ्लैट संख्या– यूनिट नं.–1, ओमेगा सुपर, फ्लैट संख्या– 24 और 25, ब्लॉक, टावर–1504 और 1504 का हिस्सा, क्षेत्रफल ग्राम अजीजपुर कोल–2, तहसील–दादरी, तहसीलदार, ग्रेटर नोएडा– 201002 (भौतिक कब्जाया 620 वर्ग मी.)	18.06.2021	20.10.2022	27,97,988/-	12,16,779/-
4	DL01106100057593 / भोला सैनी / शांति / दिल्ली	फ्लैट संख्या 201, द्वितीय तल, एल–7, जेवर अपार्टमेंट के सामने, सामने की ओर, फ्लैट संख्या 16 और 60 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 11/22 के भी, अपार्टमेंट गांव की मालिकाना भूमि, आराजी खाता नंबर 1, ग्राम अजीजपुर कलां का ब्लॉक के अन्तर्गत स्थित है, तहसील–दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी (भौतिक कब्जाया 450 वर्ग मी.)	04.01.2020	24.12.2020	40,15,912/-	15,71,704/-
5	UPU11061000067537 / श्री अमित कुमार / दिल्ली	फ्लैट संख्या– सी–2, तृतीय तल, ग्राम एकडालिया बांगर, फ्लैट संख्या– 107, खसरा संख्या– 222, ग्रेटर नोएडा, जिला– गौतमबुद्ध नगर यूपी– 201310. (भौतिक कब्जाया 421 वर्ग मी.)	18.06.2021	14.10.2022	22,29,837/-	9,69,570/-
6	UPU11061000032962 / श्री अनुज कुमार / श्रीमती नीतू कुमार / दिल्ली	फ्लैट संख्या– यूनिटनं.– 1, ओमेगा सुपर, ग्रामपंचायत के भिन्न हिस्से में स्थित, ब्लॉक–1504 और 1504 यूनिट संख्या 24/1, 25/1, खसरा संख्या– 12/3 में से, क्षेत्रफल मूल– 1/1, गांव– दादरी, तहसील– दादरी, तहसीलदार, ग्रेटर नोएडा– 201002	11.02.2019	08.01.2021	33,05,282/-	10,59,602/-
7	DL01106100040086 / श्रीमती आशा बलवान / दिल्ली	फ्लैट नं.– एलएम–बी, द्वितीय तल, ग्रामपंचायत के भिन्न हिस्से में स्थित, क्षेत्रफल 542 वर्ग मीटर, फ्लैट संख्या–46, खसरा संख्या– 503 में से, तिलपत्ता अपार्टमेंट ग्राम बोर के अन्तर्गत, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली– 110085 में स्थित है।	08.02.2019	29.12.2020	42,44,828/-	13,12,659/-
8	HR01106100007296 / श्री विजय कपूर / श्रीमती मीना पाराशर / दिल्ली	फ्लैट संख्या–303, तृतीय तल, ग्रामपंचायत के भिन्न, फ्लैट संख्या 7 और 8, खसरा संख्या– 1087 / 1203 / 5468 / 1867, 1868 / 5443 / 1209 / 2 / 1209 / 2 / 1209 / 2